कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 605 निर्णय दिनांकः- 15-06-18.

अन्तर्गत धारा 111–128 आरटीए

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री सूर्या पि. वैजा

जति भील उम्र बालिग नि0 पालखरी तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत वर्तमान दिनांक 15-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा वस्तीखाय पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 568 पर आराजी नं0 420 कुल 0 बीघा 8 बिस्वा किता 1 योग रकबा 8 (आठ) बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हिडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी [illegible] नि0 पालखरी ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम वस्तीखाय के खसरा नं0 419 रकबा — बीघा 8 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 8 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत 2070-73 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है और विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा वस्तीखाय में स्थित खाता संख्या 568 पर आराजी नं0 420 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 8 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा वस्तीखाय मे स्थित खाता संख्या 568 पर आराजी नं0 420 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 8 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदा, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक [illegible] के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 300/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर